an>

Title: Issue regarding the sexual harassment of woman in political party.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता में सुसाइड कमिट किया है। उसके पीछे जो कारण हैं, उसने पहले एफआईआर लिखवाई जिसमें उसने कहा कि किस प्रकार शोषण का मामला था। जब उस व्यक्ति को जमानत मिली तो उसने बताया कि आपको किसी ने, उसे वे नीचे के लैवल पर खत्म करने का मामला कर रहे हैं। उसमें एक खास लाइन है जिसमें कहा गया है - आपको किसी ने पसंद कर लिया है, आपको कोई चाहता है। एक ऐसी पार्टी आम आदमी को बदनाम करने का काम कर रही है। राजनीतिक दलों में आम औरत की क्या हालत है, उसका व्याख्यान इस महिला ने अपनी एफआईआर में कराया है। जब सैक्सुअल हैरासमैंट एट वर्क प्लेस की बात होती है, इसी संसद ने वह कानून पारित किया। लेकिन उस कानून के पारित होने के बावजूद एक राजनीतिक दल जिसके अंदर वहां के कार्यकर्ता राजनीतिक काम कम और महिला को अपने बॉसेज के लिए प्रोक्योर करने का काम ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को इलैक्शन कमीशन द्वारा डीरिकग्नाइज़ किया जाना चाहिए।

वह मुख्य मंत्री से जाकर मिलती है और उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम कप्रोमाइज़ करो। उसको अपनी बेटी और अपनी जान का खतरा रहता है। डिप्रैशन में आकर उस महिला ने वॉट्सएप पर मैसेज किया। सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि एमएलए की पत्नी के मोबाइल फोन से उस महिला को एसएमएस दिए जाते थे। जाहिर तौर पर पत्नी यह मैसेज नहीं दे रही है। इस एमएलए के नीचे जो तीन कार्यकर्ता थे, वे इस तरह की हरकत में उलझे हुए थे जिसमें उस पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आता है, लोकल एमएलए का नाम सामने आता है और तीन व्यक्ति उस पर गैर-जिम्मेदार तरीके से प्रैशर बना रहे थे कि वह अपने आपको कप्रोमाइज़ करे। शब्दों का चयन यहां तक है कि अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो आपको अपने देश के साथ कप्रोमाइज़ करना होगा।

मैं यह कहना चाहती हूं कि यह मामला केवल एक महिला के शोषण करने का नहीं है, एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करने का है जहां महिलाओं को शोषित किया जा रहा है। एक ऐसी पार्टी जिसके भीतर ऐसा काम हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेकर उस पार्टी को डिरिक्गनाइज करना चाहिए। ...(व्यवधान) यह केस 506 और 509 में दर्ज हुआ है, अब अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है जिसके अंदर मुख्यमंत्री से लेकर एम.एल.ए और तीन अन्य लोग पर रिकार्डेड बयान के आधार पर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री अश्विनी कुमार चौबे,

श्री निशिकान्त दुबे,

श्री प्रहलाद जोशी,

श्री आलोक संजर,

श्री देवजी एम. पटेल,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्रीमती ज्योति धुर्वे,

कुमारी शोभा कारान्दलाजे,

श्री शिवकुमार उदासि,

श्री प्रताप सिम्हा,

श्री नलीन कुमार कटील,

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश,

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल,

श्री राजेश रंजन,

श्री राघव लखनपाल,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री महेश गिरी,

श्री मनोज तिवारी,

श्री उदित राज,

श्री लखन लाल साहू और

श्री अभिषेक सिंह को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आप सभी एसोसिएट कर सकते हैं। आप अपने-अपने नाम दे दो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं समझ रही हूं, आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ रही हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, प्लीज बैठिए। आप लोग एसोसिएट कीजिए, ऐसा नहीं होता। उन्होंने इस विषय को अच्छे तरीके से उठाया है।

Nothing will go on record.

...(*Interruptions*)â€¦ *

माननीय अध्यक्ष : आप एसोसिएट कीजिए मैं मना नहीं कर रही हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चिल्लाते क्यों हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो भी विषय उठाना उसे बहुत अच्छे शब्दो में उठाना, एलिगेशन और चिल्लाना ठीक नहीं है। मीनाक्षी लेखी ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया।

-

-